


From No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द आह्वान
(नियम 26)

मुरारी बनाम नन्दराम वगै०

तारीख हुवम	हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र -212 संख्या <u>19</u> वर्ष <u>2020</u> <u>05.2.20</u>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
05.02.2020	<p>आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। एक पक्षीय उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 05.03.2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 273/0.56, 274/0.32, 275/0.33, 276/0.21, 277/0.23 है० वाके ग्राम थडा पर प्रार्थी के हिस्से तक की आराजी को रहन, बय न करें।</p> <p>क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा। रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।</p> <p align="right"> उपखण्ड अधिकारी तिजारा(अलवर)</p>	

573/20 फर्दमाली पेश हुई। पत्रावली पत्रावली उपस्थित
 पूरदिसानुसार वादी... मुला... मुला... मुला...
 दिनांक 22/7/20

17/3/21 पत्रावली आज पेश हुई वकील वाद नोटिस भी स्वारीज
 किमा जमा है अतः यह ठाठ 40 भी स्वारीज किमा
 डावा है।